

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु०-1

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018

विषय: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अध्याय 5 के अन्तर्गत निहित बिन्दुओं के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1134/78-1-2017-87आईटी/2014 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा शासनादेश संख्या 1621/78-1-2016-123 आईटी/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014" को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को "इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन" उद्घोषित किया गया है तथा नीति के समस्त प्रोत्साहन इस उद्घोषित क्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी इकाइयों को अनुमन्य होंगे।

3- राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर/ई.एस.डी.एम. पार्क्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि अथवा सक्षम स्तर से अनुमोदित रू 20,000 करोड़ (फैब इकाई के अतिरिक्त, यदि हो तो) तक वित्तीय प्रोत्साहन, जो भी पहले हो, हेतु विभिन्न प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

4- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अध्याय 5 के अन्तर्गत विपणन एवं ब्रांडिंग हेतु निम्न व्यवस्था की गई है:-

विपणन एवं ब्रांडिंग रणनीति

इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय इस नीति के विपणन एवं ब्रांडिंग रणनीति के निर्धारण हेतु उत्तरदायी होगा। इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे:-

- राज्य के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा उसकी नीतियों एवं विभिन्न प्रोत्साहनों की एक ब्राण्ड छवि का सृजन।
- नीति के प्रमुख बिन्दुओं को रेखांकित करने के लिए CII, ELCINA, MAIT, ICA, FICCI इत्यादि के सहयोग से सम्मेलन, सभायें, रोड शो तथा इवेन्ट्स आयोजित करना।
- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया का उपयोग करना तथा उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग और अन्य राज्यों के मुकाबले उसे स्थापित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- अखिल विश्व स्तर पर राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सेमीकण्डक्टर तथा इलेक्ट्रानिक्स आयोजनो में प्रतिभाग करना।

5- उपरोक्त के क्रम में अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव अपने अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, संगठनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में प्रदेश शासन के उक्त संकल्प का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-132(1)/78-1-2018 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ०प्र० शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
6. कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ०प्र० शासन।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।


30-118

आज्ञा से


(हरी राम)
अनु सचिव।